



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]
No. 101]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2010/फाल्गुन 14, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2010/PHALGUNA 14, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

सा.का.नि. 175(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ संख्या 1-77 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ), दिनांक 7-6-2005 [खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन), नियमावली, 2005] और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 706(अ), दिनांक 6-12-2005, सा.का.नि. 131(अ), दिनांक 3-3-2006, सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 5-9-2006, सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 5-9-2007, सा.का.नि. 591(अ), दिनांक 13-8-2008, सा.का.नि. 805(अ), दिनांक 20-11-2008, सा.का.नि. 117(अ), दिनांक 24-2-2009, सा.का.नि. 329(अ), दिनांक 15-5-2009 और सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 28-8-2009 के साथ पठनीय, पृष्ठ 2 पर, नियम 1 के उप-नियम (2) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा,—

“(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 2 के उप-नियम (ii) के खंड (क), खंड (च) के मद संख्या क. 11.02.06, क. 11.02.06.01, क. 11.02.06.02, खंड (छ) के मद संख्या क. 11.02.07, क. 11.02.07.01, क. 11.2.07.02, क. 11.02.08 और खंड (ड) तथा परिशिष्ट ‘ग’ की सारणी-14

और परिशिष्ट ‘घ’ की सारणी-3 में उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ, जो 7-9-2010 को प्रवृत्त होंगी।”

[फा. सं. पी. 15014/7/2002-जन स्वास्थ्य (खाद्य)]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में का.नि.आ. संख्यांक 2106, दिनांक 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 431(अ), दिनांक 19 जून, 2009 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th March, 2010

G.S.R. 175(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 356(E), dated the 7th June, 2005, [Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 2005] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1-77 of the Gazette of India, Extraordinary and read with Corrigendum G.S.R. 706 (E), dated 6th December, 2005, G.S.R. 131(E), dated 3rd March, 2006, G.S.R. 532 (E), dated 5th September, 2006, G.S.R. 575(E), dated 5th September, 2007, G.S.R. 591 (E), dated 13th August,

2008, G.S.R. 805(E), dated 20th November, 2008, G.S.R. 117(E), dated 24th February, 2009, G.S.R. 329(E), dated 15th May, 2009 and G.S.R. 606(E), dated 28th August, 2009 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 44, sub-rule (2) of rule 1, shall read as follow,—

“(2) They shall come into force after nine months except clause (a), items No. A.11.02.06, A. 11.02.06.01, A.11.02.06.02 of clause (f), items No. A. 11.02.07, A.11.02.07.01, A.11.02.07.02, A.11.02.08 of clause (g) and clause (m) of sub-rule (ii) of rule 2 and entries

relating thereto in Table 14 of Appendix-C and Table 3 of Appendix-D, which shall come into force on 7-9-2010.”

[F. No. P. 15014/7/2002-P.H. (Food)]
VINEET CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note:— The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India *vide* S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* G.S.R. 431(E), dated 19th June, 2009.